

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक— 1127 / मीरजापुर / 15, दिनांक अक्टूबर - 8 - 2025

सेवा में,

अधिकृत प्रतिनिधि
वेलस्पन एनर्जी, यू0पी0प्रा0लि0,
मीरजापुर।

विषय— वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम—ददरी खुर्द, तहसील—सदर, जिला—मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2*660) मेगावाट ताप विद्युतगृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— भारत सरकार का पत्रांक—08बी/यू0पी0/08/38/2016/एफ0सी0/309 दिनांक 09.09.2025 (Online Proposal No. FP/UP/THERMAL/14236/2015)

महोदय

वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम—ददरी खुर्द, तहसील—सदर, जिला—मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2*660) मेगावाट ताप विद्युतगृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार का पत्रांक—08बी/यू0पी0/08/38/2016/एफ0सी0/309 दिनांक 09.09.2025 (Online Proposal No. FP/UP/THERMAL/14236/2015) (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त शर्तों का अनुपालन करते हुये वांछित धनराशि, ई—पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई—चालान द्वारा जमा कर सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रत्येक शर्त के सम्बन्ध में अलग—अलग अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र/अण्डरटेकिंग/चालान की प्रति दिनांक सहित (RTGS/NIFT की रसीद, UTR नम्बर, बैंक का नाम व ब्रांच का पता व दिनांक सहित) मूल में इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें।

S.No.	Condition	मांग पत्र
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	परियोजना से प्रभावित वन भूमि आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी, उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2	Compensatory a forestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 8.3581 ha. Non Forest Land (NFL) in Village Kushiyara, Tehsil Lalganj, Mirzapur Forest Division, District Mirzapur at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	उपयोगकर्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा जनपद—मीरजापुर के कैमूर वन्य जीव प्रभाग अन्तर्गत हलिया रेंज में ग्राम—कुशियारा, तहसील— लालगंज में 8.3581 हे0 गैर वन भूमि पर स्थानीय स्वदेशी प्रजाति के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा। एक ही प्रजातियों का रोपण नहीं किया जायेगा।
3	The cost of compensatory a forestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत, सी0ए0 भूमि का सर्वेक्षण, सीमांकन और स्थाई स्तम्भों के निर्माण की लागत तथा आगामी 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु हेतु निर्धारित कार्यों की अनुमति लागत वृद्धि हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक—1440/कैमूर/33-1 दिनांक 08.10.2025 द्वारा अपेक्षित आवश्यक प्रॉक्कलित धनराशि मु0 1044,5,000.00 (एक करोड़ चार लाख पैतालिस हजार रुपये मात्र)

		CAMPA मद में ई-पोर्टल के माध्यम से(e-portal (https://parivesh.nic.in)) उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी ।
4	Forest land will be handed over only after required non-forest land (8.3581 ha.) for the project is handed over by the user agency.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित 8.3581 हे० गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर उ०प्र० के नाम नामान्तरित किया जायेगा।
5	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of "In-Principle" approval.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि 8.3581 हे० कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर उ०प्र० के नाम नामान्तरित एवं अमलदरामद कराया जायेगा एवं परियोजना के विधिवत् स्वीकृति (Stage-II) से पूर्व उक्त गैर वन भूमि को आरक्षित वन भूमि/संरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित कराया जायेगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 या धारा-29 के तहत वन भूमि घोषित करने वाली मूल अधिसूचना की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन के अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 8.3581 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No.5-3/2011-FC(Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2018 and 09-05-2008 in IA no. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter no.5-1/1998-FC-(pt.II) dated 18-09-2003, as well letter no. 5-2/2006-FC dated 03-10-2006 and 5-3/2007-FC dated 05-2-2009 and letter No.5-3/2011-FC(Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.के अनुसार वेलेस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा० लि० द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2x660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित 8.3581 हे० वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) 957780.00 प्रति हे० की दर से 957780.00 लाख x 8.3581 हे० = 8005221.00 (अस्सी लाख पाँच हजार दो सौ इक्कीस रुपये) मात्र की वांछित धनराशि CAMPA मद में ई-पोर्टल के माध्यम से(e-portal (https://parivesh.nic.in)) उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी ।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	उपयोगकर्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी द्वारा यह अण्डरटेकिंग देनी होगी कि यदि इस अवधि में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एक्सपर्ट समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि एन०पी०वी० दर संशोधित होती है तो बढ़ी हुयी एन०पी०वी० की धनराशि उपयोगकर्ता एजेंसी को जमा करना होगा।
8	User agency shall restrict the felling of trees to the enumerated 296 trees/any minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वेलेस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा० लि० द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील- सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2x660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण में बाधक चिन्हित अधिकतम 296

✓

	with the State Forest Department.	वृक्षों का ही पातन वन विभाग की सख्त निगरानी में उ०प्र० वन निगम से कराया जायेगा। पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फेलिंग, लौगिंग, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का भुगतान उ०प्र० वन निगम को करना होगा। वृक्षों के छपान पर व्यय का भुगतान प्रस्तावक संस्था द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।
9	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी से निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त कर पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
10	No violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO shall be provided.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र।
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	उपयोगकर्ता एजेंसी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत यदि आवश्यक हो पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
12	The User Agency shall ensure that ash disposal is carried out as per the detailed plan prepared for the purpose, and is in accordance with all environmental safe guards.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि राख का निपटान (Disposal) इस उद्देश्य के लिये तैयार की गयी विस्तृत योजना के अनुसार सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अनुरूप किया जाय।
13	Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of stream shall be implemented within a period of three year with effect from the issue of 'Final' approval in accordance with the approved Plan/Scheme in consultation with the State Forest Department.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा मृदा अपरदन और जलधाराओं के अवरुद्ध होने को कम करने के लिये शमन उपाय, राज्य वन विभाग के परामर्श से अनुमोदित योजना/स्कीम के अनुसार अंतिम अनुमोदन जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर लागू किये जायेगे।
14	Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds. in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion in accordance with the approved Plan/scheme.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अनुमोदित योजना/स्कीम के अनुसार मृदा अपरदन को रोकने के लिये खनन पट्टे के भीतर उपयुक्त क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सूखा प्रतिरोधी पौधों की प्रजातियों का रोपण और बीजों की बुवाई की जायेगी।
15	Construction of check dams, retention hoc walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour in accordance with the approved Plan/Scheme.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अनुमोदित योजना/स्कीम के अनुसार समोच्च रेखा के साथ उत्खनित सामग्री के नीचे खिसकने को रोकने के लिये चेकडैम और रिटेंशन हो दिवारों का निर्माण कराया जायेगा।
16	Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching, in accordance with the approved scheme, so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28°.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, उचित ग्रेडिंग/बेंचिंग द्वारा ओवरबर्डन डंप को स्थिर करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी स्थान पर विश्राम कोण 28° से कम हो।

17	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake by involving local community, the afforestation measures in the blanks within the project area being diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	जहाँ भी सम्भव और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, उपयोगकर्ता एजेंसी स्थानीय समुदाय को शामिल करके, इस अनुमोदन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में रिक्त स्थानों पर राज्य वन विभाग के परामर्श से परियोजना लागत पर वनरोपण के उपाय करेगी।
18	The user agency should give an undertaking that it shall take all measures to prevent pollution by effluents, particulate matters etc. at the project cost.	उपयोगकर्ता एजेंसी को यह वचन देना होगा कि वह परियोजना लागत पर अपशिष्टों, कणिकीय पदार्थों आदि से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये सभी उपाय करेगी।
19	The user agency will develop a green belt along the power station and also along the water pipe line/channel.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा विद्युत स्टेशन के साथ-साथ और जल पाइप लाइन/चैनल के साथ-साथ एक हरित पट्टी विकसित करेगी।
20	The State Government will submit the proposal for water supply to the plant at the earliest.	राज्य सरकार संयंत्र को जल आपूर्ति के लिये प्रस्ताव यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी।
21	The approval granted under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) shall not confer any rights or any guarantee to the user agency of coal linkages.	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) के अन्तर्गत दी गयी स्वीकृति, उपयोगकर्ता एजेंसी को कोयला लिंकेज के कोई अधिकार या कोई गारण्टी प्रदान नहीं करेगी।
22	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव की लेआउट योजना के केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
23	No labour camp shall be established on the forest land.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
24	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	उपयोगकर्ता एजेंसी साइट पर काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को ईंधन, अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करायेगी ताकि आस-पास के वन क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार के नुकसान और दबाव से बचा जा सके।
25	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा को प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के निर्देशानुसार गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किये जाने हेतु सर्वे सीमांकन आर०सी०सी० पीलर का प्रॉक्कलन धनराशि मु० 5,66,904.00 (पाँच लाख छ्छठ हजार नौ सौ चार रुपये) है।(प्रति संलग्न)। CAMPA मद में ई-पोर्टल के माध्यम से (e-portal (https://parivesh.nic.in)) उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
26	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना कार्य के निष्पादन/निर्माण में परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

27	This approval is subject to the final outcome in the IA No. 185063/2025 in Writ Petition No. 202/1995.	यह अनुमोदन रिट याचिका संख्या-202/1995 में आई0ए0-185063/2025 के अन्तिम निर्णय के अधीन है।
28	The State Govt. will submit the Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) and will ensure depositing the cost to be incurred for its implementation by the Project Proponent in CAMPA.	राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता मूल्यांकन एवं संरक्षण प्रबन्धन योजना (वन्य जीव सहित) तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा और उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा इसके कार्यान्वयन पर होने वाली लागत को कैम्पा में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेगा।
29	The period of diversion under this approval shall be for 35 years or co-terminus with the period of the project life, whichever is earlier.	इस अनुमोदन के अन्तर्गत डायवर्जन की अवधि 35 वर्ष अथवा परियोजना के जीवन के अवधि के साथ समाप्त होगी, जो भी पहले हो।
30	The State Government shall ensure necessary action subsequent to any change in forest area/forest boundary after completion of digitization	डिजिटलीकरण पूरा होने के बाद वन क्षेत्र/वन सीमा में किसी भी परिवर्तन के लिये राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
31	DFO needs to certify that the area proposed for diversion is as per the existing Working Plan and no other affected forest area is left to be included in the proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि डायवर्जन के लिये प्रस्तावित क्षेत्र मौजूदा कार्य योजना के अनुसार है और प्रस्ताव में शामिल करने के लिये अन्य प्रभावित वन क्षेत्र बचा नहीं है।
32	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
33	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
34	The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	डायवर्जन किये जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल एवं सी0ए0 क्षेत्र हेतु वन भूमि का के0एम0एल0 फाइल सभी अपेक्षित विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
35	Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.1 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम के खण्ड-11.1 के अनुसार वृक्षों की कटाई और कार्य प्रारम्भ करने हेतु रेखीय परियोजनाओं के मामले से अस्थाई कार्य अनुमति का कोई आदेश नोडल कार्यालय और भारत सरकार (MOEF) को सूचित करते हुये पारित किया जायेगा, अस्थाई कार्य अनुमति का आदेश परिवेश पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा, उक्त की नोडल अधिकारी सख्ती से निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी अनुमति जारी होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी अनुमति के अन्तर्गत कोई और गतिविधि न की जाय।

36	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as per para 1.16 of consolidated guideline and clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, MoEF&CC.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। तदनुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के समेकित गाइडलाइन के पैरा-1.16 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
37	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा संरक्षण और विकास के लिये समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
38	This approval is subject to the final outcome with respect to Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 3.2.2025 and 4.3.2025.	यह अनुमोदन सीडब्ल्यूपी(सी)संख्या-1164/2023 दिनांक 03.02.2025 और 04.03.2025 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के सम्बन्ध में अंतिम परिणाम के अधीन है।
39	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through <i>eportal</i> (https://parivesh.nic.in).	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा सभी मदों की धनराशि CAMPA मद में ई-पोर्टल के माध्यम से (<i>e-portal</i>) (https://parivesh.nic.in) उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
40	The compliance report shall be uploaded on <i>eportal</i> (https://parivesh.nic.in).	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।
	After receipt of the compliance report on the fulfillment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Transfer of forest land shall not be effected till final approval is granted by the Government in this regard.	उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति पर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, प्रस्ताव को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत अंतिम अनुमोदन के लिये विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अन्तिम अनुमोदन दिये जाने तक वन भूमि का हस्तान्तरण प्रभावी नहीं होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राकेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 1127 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

सर्वे सीमांकन एवं वन सीमा स्तम्भों की स्थापना कार्य

वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2*660) मेगावाट ताप विद्युतगृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/THERMAL/14236/2015) सीमा परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किये जाने हेतु प्रॉवकलन

कुल वन सीमा सर्वे कार्य – 10.00 किमी०
सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु चिन्हांकन – 20 सीमा स्तम्भ
इन्डिकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन – 20 इन्डिकेटर

क्र० सं०	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूची दर
1	सर्वे कार्य	प्र०चैन	500	6.60	3300.00	
2	सीमा स्तम्भ एवं इन्डिकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन	प्रति	40	1.48	59.20	
				योग	3359.20	

सीमा स्तम्भ कार्य की स्थापना

क्र० सं०	कार्य का नाम	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई / गहराई	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	पी०डब्लू०डी० अनुसूची दर
1	नींव का खुदान, सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु पहाड़ी/पथरीला	20	0.50	0.50	0.50	3	घ०मी०	110	275.00	252
2	1:2:4 सीमेन्ट बालू 2एम०एम०पत्थर गिट्टी से कंकरीटीय कार्य	20	0.50	0.50	0.60	3.00	घ०मी०	6400	19200.00	282
		20	0.433	0.433	0.50	1.88	घ०मी०	6400	12032.00	282
3	1:2:4 सीमेन्ट बालू 20 एम०एम० गिट्टी से सीमा स्तम्भ निर्माण	20	0.25	0.25	1	1	घ०मी०	6600	8250.00	283
4	सीमा स्तम्भ हेतु लोहा सरिया का मूल्य	20	0	0	0.15	3	कुन्तल	4500	13500.00	502
5	प्लारस्टर कार्य 1:4 सीमेन्ट बालू मसाला से	20x4	0.00	0.25	1.00	20	घ०मी०	128	2560.00	584
		20x1	0.25	0.25	0.00	1.25	घ०मी०	128	160.00	584
6	सीमा स्तम्भ की पुताई सफेद सीमेंट से इन्डिकेटर	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	67	1340.00	662
		20	0.00	0.00	0	20	प्रति	50	1000.00	
7	सीमा स्तम्भ में लाल-हरा पेंटिंग एवं सीमा स्तम्भ पर वन विभाग को जी०पी०एस० न० एव संख्या लिखवाई कार्य	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	50	1000.00	-
8	इन्डिकेटर पत्थर का कय मूल्य	20	0.25	0.25	0.70	20	प्रति	825	16500.00	-
9	इन्डिकेटर पत्थर का साइड तक ढुलान कार्य	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	56.60	1132.00	-
10	इन्डिकेटर पत्थर पीलर का सिरबोझ द्वारा साइड से कार्य स्थल तक ढुलान एवं लगाना	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	8.20	164.00	-
11	इन्डिकेटर पत्थर पीलर पर नम्बर डालना	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	4.30	86.00	-
12	अन्य आकस्मिक व्यय					10	प्रति०किमी	160	1600.00	-
	योग								78799.00	
	कुल योग(सर्वे तथा सीमा स्तम्भों की स्थापना का योग)								3359.20	
	सम्पूर्ण योग या								82158.20	
									82000.00	

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-पी-202/36-टी-311 लखनऊ दिनांक 16.08.2016 के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित दर प्रति किमी० धनराशि मु०-8200.00 रुपये

प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि को शामिल करते हुये प्रति किमी० दर वर्ष 2026-27 के लिये रुपये 21,269.00 मात्र (इक्कीस हजार दो सौ उनहत्तर रुपये)

कुल लम्बाई= 13.327 किमी० x 2= 26.654 किमी०

कुल धनराशि = 26.654 किमी० x रु० 21269.00 = 5,66,904.00 (पाँच लाख छ्छठ हजार नौ सौ चार रुपये मात्र)

(राकेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक-1440 / कैमूर / 33-1, मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर 08, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

विषय- वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम ददरीखुर्द, तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2x660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाईप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाँधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Proposal No-FP/UP/THERMAL/14236/2015)

संदर्भ:-1-आपका पत्रांक-934 / मीरजापुर / 15 दिनांक-25.09.2025

2-क्षेत्रीय वन अधिकारी हलिया का पत्रांक-160 / हलिया दिनांक-06.10.2025

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार के पत्रांक-8बी/यू0पी0 / 08 / 38 / 2016 / एफ0सी0 / 309 दिनांक 09.09.2025 द्वारा 40 शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शर्तों में अधिरोपित शर्त सं0-2, 3, 4 व 5 के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। विषयक प्रस्ताव में प्रस्तावक संस्था द्वारा परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अपेक्षित गैर वन भूमि (NFL) कैमूर वन्य जीव प्रभाग के हलिया रेंज के अन्तर्गत ग्राम कुशियरा, तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-09.09.2025 में अधिरोपित शर्त सं0-3, के अनुपालन में गैर वन भूमि पर वर्तमान प्रचलित दर के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र सं0 1440 / समदिनांकित

प्रतिलिपि-वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0, ग्राम ददरीखुर्द, तहसील सदर, जिला मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

वन्य
कैमूर प्रभाग
कैमूर
पत्रांक-1440
08/10/25

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 8.3581 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण का वर्षवार सारांश

क्र० सं०	वर्ष	भौतिक (हे० में)	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि (लाख में)	10% मंहगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एर्जेसी से वांछित धनराशि (लाख में)
1	प्रथम	8.3581	7.652	1.00	7.652
2	द्वितीय	8.3581	6.014	1.10	6.615
3	तृतीय	8.3581	5.096	1.21	6.166
4	चतुर्थ	8.3581	5.096	1.331	6.783
5	पंचम	8.3581	5.096	1.4641	7.461
6	षष्ठम	8.3581	4.713	1.6105	7.590
7	सप्तम	8.3581	4.713	1.7716	8.350
8	अष्टम	8.3581	4.525	1.9487	8.818
9	नवम	8.3581	4.525	2.1436	9.700
10	दशम	8.3581	4.525	2.3579	10.669
11	एकादश	8.3581	4.525	2.5937	11.736
12	द्वादश	8.3581	4.525	2.8531	12.910
योग					104.451
कुल आवश्यक धनराशि-					104.450
रु० एक करोड़ चार लाख पैतालिस हजार मात्र					

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।


ए० एन० मिश्रा
क्षेत्रीय वनाधिकारी
जया रेंज, कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मिर्जापुर

प्रान्तकस्तन माडल

कतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)

प्रमाण का नाम- कैमूर वन्य जीव प्रभाग।
 क्षेत्रफल- 8.3581 हे०
 नदरों की संख्या-3343
 बोना नाली की संख्या- 3343
 बुझा हेतु पत्थर बीवाल- 1025 10मी०

रोपित पीधी का लक्ष्य- 3343
 पीध संख्या बीज बुझान द्वारा- 10030
 कुल पीधी की संख्या-12373
 मजदूरी दर- रु० 220.00 प्रति मानव दिवस।

क्र० सं०	अनुष्ठीत वर क्रमिक	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	अन्यराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	2.2	क्षेत्र का सर्वेक्षण	प्र०हे०	8.3581	61.79	516.99
2	3.1.C	क्षेत्र की स्थल सफाई सैण्टाना युक्त 80% से अधिक घनत्व	प्र०हे०	8.3581	3966.07	33148.81
3	3.3.A	अ. रेखांकन बोना नाली	प्र०सै०	33.43	154.48	5164.27
4	3.3.B	ब. रेखांकन गड्ढा	प्र०सै०	33.43	46.69	1560.85
5	4.1.A	अ- बोना नाली खुदान (3.00x0.60x0.45) मी० (अमिक द्वारा)	प्र०बी०ना०	3343	87.20	291509.60
6	4.2.A	स- गड्ढा खुदान (0.45x0.45x0.45) मी०	प्र०ग०	3343	11.90	39781.70
7	9.4.2	पत्थर बिवाल से घेरबाड के नीचे की चौड़ाई 1.20 मी० उपर की चौड़ाई 0.80 मी० एवं उंचाई 1.00 मी०	प्र०प०मी०	1025	324.75	332868.75
8	9.4.3	पत्थर की दिवाल पर 0.10 मी० मिट्टी चढाना	प्र०र०मी०	1025	5.03	5155.75
9		पीध उगान प्रति हे० 440 पीध	प्रति पीध	3678	4.69	17247.78
10	7.1.B	बोनानाली पर बीज बुझान हेतु बीज का एकत्रीकरण	प्र०बी०ना०	3343	5.90	19723.70
11	10.01	3.00 मी० चौड़ा निरीक्षण मार्ग का निर्माण	प्र०किमी०	2	5537.00	11074.00
12	11.B	अमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	8.3581	197.16	1647.88
13	11.1	अन्य विविध व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम्०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु बीजल क्रय आदि)	प्रति हे०	8.3581	690.00	5767.09
					योग-	765166.62
					वा-	765200.00

कतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय वर्ष)

क्र० सं०	अनुष्ठीत वर क्रमिक	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	अन्यराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	5.1	गड्ढे का मरान कार्य	प्र०ग०	3343	1.37	4579.91
2	5.2	ड्रेसिंग कार्य बोना नाली	प्र०ना०	3343	3.03	10129.29
3	7.1.A	बीज बुआई कार्य बोनानाली पर	प्र०ना०	3343	2.17	7254.31
4	7.5.B	गोबर की खाद 2 किग्रा० प्रति पीध	प्रति पीध	3343	4.07	13598.81
5	7.5.A	वर्मी कम्पोस्ट 500 ग्राम प्रति पीध	प्रति पीध	3343	5.05	16882.15
6	7.5.C	माईक्रोन्यूट्रियन्स 05 ग्राम प्रति पीध	प्रति पीध	3343	0.33	1103.19
7	7.6	स्टाईली इमाटा घास का बीज बुझान	प्र०हे०	8.3581	656.54	5487.43
8	Dept. Rate	पीध अनुष्ठाण कार्य	प्र०पीध	3678	2.00	7356.00
9	6.1	पीध बुझान कार्य (3% अतिरिक्त) लटाई जतराई सहित मोटी	प्र०पीध	3788	1.34	5085.92
10	7.3	पीध रोपण छोटी बेली पीध स्थानीय बुझान सहित	प्र०पीध	3343	2.75	9193.25
11	7.8	धायला बनाना 1.20 मी० व्यास	प्र०पीध	3343	3.03	10129.29
12	8.1	रोपित पीधी की निराई गुड़ाई कार्य वर्ष में 03 बार	प्र०सै०पी०	1003	102.99	10328.87
13	8.1	बोना नाली निराई गुड़ाई का वर्ष में 03 बार	प्र०सै०पी०	1003	377.61	37870.51
14	10.4	रोपवानी प्रहरी का पारिश्रमिक जुलाई से मार्च	प्रति दिन	334	240.00	80256.00
15	10.5	रोपवानी बोर्ड एवं गेट के निर्माण एवं लमवाई सहित	प्र० ले०	1	5121.18	5121.18
16	11.B	अमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	8.3581	197.16	1647.88

ए० एन० मिश्रा

क्षेत्रीय वनाधिकारी
 इलिया रेंज, कैमूर वन्य जीव प्रभाग
 गीरजापुर

D:\Mandohat\2025 Estimate\8 3581 ha

वन्य जीव प्रतिपालक
 कैमूर वन्य जीव विभाग
 चक्रे, गीरजापुर

17	8.3	28 ग्राम धूरिया का ठिकाना 02 बार (एक बार अगस्त एवं दूसरा शीतकालीन वर्षा के बाद)	प्रतिगाइ	6680	0.70	4680.20
18	3.2.1	वर्ष में पौधों की लाइन में 01 मी० लंबाई में धारा कटाई रोपवनी क्षेत्र में	प्रतिमी०	8.3581	851.00	7112.74
19	1.8.2	वितरण कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्रतिमी०	8.3581	671.60	5614.05
20	1.5.6.H	पौधों की सिंचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पौध	110000	3.36	359400.00
21	10.2	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्रति किमी०	2	2760.00	5520.00
22	11.A	झोपड़ी का निर्माण	प्रति	1	6036.07	6036.07
23	11.1	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फील्डिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्रतिमी०	8.3581	690.00	5767.00
					योग-	681392.43
					बा-	681400.00

हातिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - प्रथम अनुसूचण कार्य (तृतीय वर्ष)

क्र०सं०	अनुसूचि क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्र	दर	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1	6.1C	10 प्रतिशत असफल गड्डों में पौध रोपण हेतु 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित पौध डुलान कार्य	प्रतिमी०	344	3.34	1148.96
2	7.3 A	10 प्रतिशत असफल गड्डों में पौध रोपण छोटी धैली पौध स्थानीय डुलान सहित	प्रतिपौध	334	2.75	918.50
3	7.8	बावला बनाना 1.20 मी० व्यास	प्रतिपौध	334	3.03	1012.02
4	12.2	सफल गड्डा पौध के धावलों की मरम्मत	प्रतिमी०	3009	1.89	5687.01
5	12.1	10 प्रतिशत असफल बोना नालियों में 20 से०मी० गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज डुलान ।	प्रतिमी०	3.34	218.56	729.99
6	7.1.A	बोना नालियों हेतु बीज मूल्य	प्रतिनाली	334	5.90	1970.60
7	12.4	गड्डों पौध की शरद कालीन निराई-गुड़ाई	प्रतिमी०	33.43	102.99	3442.96
8	12.5	बोना नालियों की शीत कालीन निराई-गुड़ाई मलबे सहित	प्रतिमी०	33.43	204.83	6847.47
9	3.2.1	रोपवनी क्षेत्र में 1.00 मी० चौड़ाई में घास काटना	प्रतिमी०	8.3581	973.78	8138.95
10	10.4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्रतिदिवस	312	230.00	71760.00
12	11.B	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्रतिमी०	8.3581	197.16	1647.88
13	10.2	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्रतिकिमी०	2	2760.00	5520.00
14	3.1.C	आवश्यकतानुसार लैण्डाना झाड़ी की सफाई 80 % से अधिक घनत्व	प्रतिमी०	8.3581	3966.07	33148.81
15	13.6.B	पौधों की सिंचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पौध	106984	3.36	359400.00
16	13.2	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	प्रति कि०मी०	2	1188.91	2377.82
17	11.1	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फील्डिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्रतिमी०	8.3581	690.00	5767.00
					योग-	509600.00
					बा-	509600.00

ए० एन० मिश्रा
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 लिया रेंज, कैमूर वन्य जीव प्रभाग
 कैमूर जिला

वन्य जीव प्रसिपालक
 कैमूर वन्य जीव विभाग

खतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - द्वितीय अनुसूचन कार्य (द्वितीय वर्ष)

क्र.सं०	अनुसूचित क्र. संकेत	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	अंशराशि	
1	2	3	4	5	6	7	
1	6.1C	10 प्रतिशत असफल गड्डों में पीध रोपण हेतु 3 प्रतिशत अतिरिक्त पीध सहित पीध बुलान कार्य	प्र०पी०	344	3.34	1148.96	
2	7.3 A	10 प्रतिशत असफल गड्डों में पीध रोपण छोटी धैली पीध स्थानीय बुलान सहित	प्र०पीध	334	2.75	918.50	
3	7.8	धावला बनाना 1.20 मी० व्यास	प्र०पीध	114	3.03	1012.02	
4	12.2	सफल गड्डा पीध के धावलों की मरम्मत	प्र०ग०	3009	1.89	5687.01	
5	12.1	10 प्रतिशत असफल बोना नालियों में 20 से०मी० गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुलान ।	प्र०पी०	334	218.56	729.99	
6	7.1.B	बोना नालियों हेतु बीज का एकत्रीकरण	प्र०नाली	334	5.90	1970.60	
7	12.4	गड्डों पीध की सरब कालीन निराई-गुड़ाई	प्र०सी०	33.43	102.99	3442.95	
8	12.5	बोना नालियों की सौत कालीन निराई-गुड़ाई मलथिंग सहित	प्र०सी०	33.43	204.83	6847.47	
9	3.2.1	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी० चौड़ाई में घास काटना	प्र०हे०	8.3581	973.76	8136.95	
10	10.4	सुखा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र०दिवस	312	230.00	71760.00	
12	11.B	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	8.3581	197.16	1647.88	
13	10.2	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र०किमी०	2	2760.00	5520.00	
14	3.1.C	आवश्यकतानुसार लैण्डाना झाड़ी की सफाई 50 % से अधिक बनाने	प्र०हे०	8.3581	3966.07	33148.81	
15	13.6.B	पीधों की सिंचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पीध	106984	3.36	359466.24	
16	13.2	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	प्रति कि०मी०	2	1188.91	2377.82	
17	11.1	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	8.3581	690.00	5767.09	
						बोन	589584.30
						बा-	589608.00

खतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - तृतीय अनुसूचन कार्य (पंचम वर्ष)

क्र.सं०	अनुसूचित क्र. संकेत	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	अंशराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	6.1C	10 प्रतिशत असफल गड्डों में पीध रोपण हेतु 3 प्रतिशत अतिरिक्त पीध सहित पीध बुलान कार्य	प्र०पी०	344	3.34	1148.96
2	7.3 A	10 प्रतिशत असफल गड्डों में पीध रोपण छोटी धैली पीध स्थानीय बुलान सहित	प्र०पीध	334	2.75	918.50
3	7.8	धावला बनाना 1.20 मी० व्यास	प्र०पीध	334	3.03	1012.02
4	12.2	सफल गड्डा पीध के धावलों की मरम्मत	प्र०ग०	3009	1.89	5687.01
5	12.1	10 प्रतिशत असफल बोना नालियों में 20 से०मी० गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुलान ।	प्र०पी०	334	218.56	729.99
6	7.1.B	बोना नालियों हेतु बीज का एकत्रीकरण	प्र०नाली	334	5.90	1970.60
7	12.4	गड्डों पीध की सरब कालीन निराई-गुड़ाई	प्र०सी०	33.43	102.99	3442.95
8	12.5	बोना नालियों की सौत कालीन निराई-गुड़ाई मलथिंग सहित	प्र०सी०	33.43	204.83	6847.47
9	3.2.1	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी० चौड़ाई में घास काटना	प्र०हे०	8.3581	973.76	8136.95
10	10.4	सुखा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र०दिवस	312	230.00	71760.00
12	11.B	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	8.3581	197.16	1647.88
13	10.2	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र०कि०मी०	2	2760.00	5520.00

ए० एम० मिश्रा
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 हलिया रेंज, कैमूर वन्य जीव प्रभाग
 गीर-तापूर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
बर्ड-सोनपट

D:\Bandedest\2025 Estimate\B.3581 ha

14	3.1.C	आवश्यकतानुसार लैबटाणा झाड़ी की सफाई 80 % से अधिक धमरव	प्र०हे०	8.3581	3966.07	33148.81	
15	13.6.B	पीछे की सिंचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पीछे	106984	3.36	359466.24	
16	13.2	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	प्रति कि०मी०	2	1188.91	2377.82	
17	11.1	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु जीजल त्रय आदि)	प्र०हे०	8.3581	690.00	5767.09	
						योग	509584.30
						वा-	509600.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - चतुर्थ अनुसूचन कार्य (षष्ठम वर्ष)

क्र०सं०	अनुसूचित वर क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	संख्या	दर	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	
1	12.2	गड़ढा पीछे के धावलों की मरम्मत	प्र०ग०	3343	1.89	6318.27	
2	12.4	गड़ढो पीछे की शरद कालीन निराई-गुड़ाई	प्र०सै०	33.43	102.99	3442.96	
3	12.5	बोना नालियों की शीत कालीन निराई-गुड़ाई मलधिन सहित	प्र०सै०	33.43	204.83	6847.41	
4	3.2.1	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी० चौड़ाई में घास काटना	प्र०हे०	8.3581	973.78	8138.95	
5	10.4	सुखा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र०दिवस	312	230.00	71760.00	
6	11.B	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	8.3581	197.16	1647.88	
7	10.2	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र०कि०मी०	2	2760.00	5520.00	
8	13.6.B	पीछे की सिंचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पीछे	106984	3.36	359466.24	
9	13.2	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	प्रति कि०मी०	2	1188.91	2377.82	
10	11.1	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु जीजल त्रय आदि)	प्र०हे०	8.3581	690.00	5767.09	
						योग	471286.68
						वा-	471300.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - पंचम अनुसूचन कार्य (सप्तम वर्ष)

क्र०सं०	अनुसूचित वर क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	संख्या	दर	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	
1	12.2	गड़ढा पीछे के धावलों की मरम्मत	प्र०ग०	3343	1.89	6318.27	
2	12.4	गड़ढो पीछे की शरद कालीन निराई-गुड़ाई	प्र०सै०	33.43	102.99	3442.96	
3	12.5	बोना नालियों की शीत कालीन निराई-गुड़ाई मलधिन सहित	प्र०सै०	33.43	204.83	6847.41	
4	3.2.1	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी० चौड़ाई में घास काटना	प्र०हे०	8.3581	973.78	8138.95	
5	10.4	सुखा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र०दिवस	312	230.00	71760.00	
6	11.B	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	8.3581	197.16	1647.88	
7	10.2	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र०कि०मी०	2	2760.00	5520.00	
8	13.6.B	पीछे की सिंचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पीछे	106984	3.36	359466.24	
9	13.2	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	प्रति कि०मी०	2	1188.91	2377.82	
10	11.1	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु जीजल त्रय आदि)	प्र०हे०	8.3581	690.00	5767.09	
						योग	471286.68
						वा-	471300.00

ए० एन० मिश्रा
क्षेत्रीय वनाधिकारी
हलिया रेंज, कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
घरक - सोनभद्र

कतिपूरक पूकारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - षष्ठम अनुस्क्षण कार्य (अष्टम वर्ष)

क्र.सं०	अनुसूचित वर क्रमांक	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	बनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	
1	12.4	गड्डो पीध की शरद कालीन निराई-गुड़ाई	प्र०स०	33.43	102.99	3442.96	
2	12.5	बोना नालियों की शीत कालीन निराई-गुड़ाई मलपिंग सहित	प्र०स०	33.43	204.83	6847.47	
3	10.4	सुस्खा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र०दिवस	312	230.00	71760.00	
4	10.2	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र०किमी०	1	2760.00	2760.00	
5	13.6.B	पीधो की सिंचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पीध	106984	3.36	359466.24	
6	13.2	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	प्रति कि०मी०	2	1188.91	2377.82	
7	11.1	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की प्रतिलिपि कराई एम०आई०एस०) फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, प्रमण कार्य हेतु बीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	8.3581	690.00	5767.09	
						योग	452421.57
						या-	452500.00

कतिपूरक पूकारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - सप्तम अनुस्क्षण कार्य (नवम वर्ष)

क्र.सं०	अनुसूचित वर क्रमांक	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	बनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	
1	12.4	गड्डो पीध की शरद कालीन निराई-गुड़ाई	प्र०स०	33.43	102.99	3442.96	
2	12.5	बोना नालियों की शीत कालीन निराई-गुड़ाई मलपिंग सहित	प्र०स०	33.43	204.83	6847.47	
3	10.4	सुस्खा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र०दिवस	312	230.00	71760.00	
4	10.2	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र०किमी०	1	2760.00	2760.00	
5	13.6.B	पीधो की सिंचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पीध	106984	3.36	359466.24	
6	13.2	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	प्रति कि०मी०	2	1188.91	2377.82	
7	11.1	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की प्रतिलिपि कराई एम०आई०एस०) फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, प्रमण कार्य हेतु बीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	8.3581	690.00	5767.09	
						योग	452421.57
						या-	452500.00

कतिपूरक पूकारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - अष्टम अनुस्क्षण कार्य (दशम वर्ष)

क्र.सं०	अनुसूचित वर क्रमांक	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	बनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	
1	12.4	गड्डो पीध की शरद कालीन निराई-गुड़ाई	प्र०स०	33.43	102.99	3442.96	
2	12.5	बोना नालियों की शीत कालीन निराई-गुड़ाई मलपिंग सहित	प्र०स०	33.43	204.83	6847.47	
3	10.4	सुस्खा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र०दिवस	312	230.00	71760.00	
4	10.2	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र०किमी०	1	2760.00	2760.00	
5	13.6.B	पीधो की सिंचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पीध	106984	3.36	359466.24	
6	13.2	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	प्रति कि०मी०	2	1188.91	2377.82	
7	11.1	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की प्रतिलिपि कराई एम०आई०एस०) फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, प्रमण कार्य हेतु बीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	8.3581	690.00	5767.09	
						योग	452421.57
						या-	452500.00

ए० एन० मिश्रा
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 हलिया रेंज, कैमूर वन्य जीव प्रभाग
 भीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
 कैमूर, बिहार
 (Muzaffarpur District, Bihar 845114)

कृषिपुरक पृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - नवम अनुसूचक कार्य (एकादश वर्ष)

क्र०सं०	अनुसूचित वर क्रमिक	कार्य का विवरण	इकाई	प्रति	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	12.4	गड्डो पीध की शरद कालीन निराई-गुड़ाई	प्र०सै०	33.43	102.99	3442.96
2	12.5	बोना नालियों की शीत कालीन निराई-गुड़ाई मलचिंग सहित	प्र०सै०	33.43	794.81	4847.47
3	10.4	सुखा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र०दिवस	312	230.00	71760.00
4	10.2	निरीक्षण मार्ग की नरम्मत	प्र०किमी०	1	2760.00	2760.00
5	13.6.B	पीधो की सिचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पीध	106984	3.36	359466.24
6	13.2	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	प्रति किमी०	2	1188.91	2377.82
7	11.1	पत्रात्मिक कार्य (अभिलेखों की छायाप्रति कराई पत्राचार, प्रकाशित पत्रों का प्रकाशन, प्रकाशित पत्रों की प्रतिलिपि, फोटोग्राफी, प्रमण कार्य हेतु बीजल कार्य आदि)	प्र०हे०	8.3581	690.00	5767.09
					योग	452421.57
					रु०	452500.00

कृषिपुरक पृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - दशम अनुसूचक कार्य (द्वादश वर्ष)

क्र०सं०	अनुसूचित वर क्रमिक	कार्य का विवरण	इकाई	प्रति	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	12.4	गड्डो पीध की शरद कालीन निराई-गुड़ाई	प्र०सै०	33.43	102.99	3442.96
2	12.5	बोना नालियों की शीत कालीन निराई-गुड़ाई मलचिंग सहित	प्र०सै०	33.43	794.81	4847.47
3	10.4	सुखा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र०दिवस	312	230.00	71760.00
4	10.2	निरीक्षण मार्ग की नरम्मत	प्र०किमी०	1	2760.00	2760.00
5	13.6.B	पीधो की सिचाई आठ बार (किराये के ट्रैक्टर द्वारा)	प्रति पीध	106984	3.36	359466.24
6	13.2	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	प्रति किमी०	2	1188.91	2377.82
7	11.1	पत्रात्मिक कार्य (अभिलेखों की छायाप्रति कराई पत्राचार, प्रकाशित पत्रों का प्रकाशन, प्रकाशित पत्रों की प्रतिलिपि, फोटोग्राफी, प्रमण कार्य हेतु बीजल कार्य आदि)	प्र०हे०	8.3581	690.00	5767.09
					योग	452421.57
					रु०	452500.00

ए० एन० मिश्रा
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 लिया रेंज, कैमूर वन्य जीव प्रभाग
 मीरजापुर

कृषि जीव प्रतिपालक
 कैमूर वन्य जीव विभाग
 बर्ड - सोनभद्र

(Signature)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर